संख्या–242/IV-शा0वि0–08–371(सा0)/04

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक– 11 फरवरी, 2008

विषयः नगर निगम, देहरादून के पी.एल.ए. में रखी गयी अवशेष धनराशि राजकोष में जमा करने के संबन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–सी.एम–37/शा0वि0/अ0–05–371(सा0)/04, दिनांक 31 मार्च, 05 का संदर्भ ग्रहण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर निगम, देहरादून के पी.एल.ए. में रू0–5.00 करोड की धनराशि अवस्थापना संबंधी कार्यों के लिए रखी गयी थी। उक्त धनराशि रू0–5.00 करोड में से वित्तीय वर्ष 2005–06 में नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत अवस्थापना संबंधी कार्यों/मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की अवशेष धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0–288.26 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, शेष धनराशि का उपयोग वर्ष 2004–05 में आदिथि तक नहीं किया गया है।

2. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून के पी.एल.ए. में बची हुई अवशेष रू0–211.74 लाख (रूपये दो करोड ग्यारह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को दिनांक 31–03–08 तक सीधे राजकोष में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की फोटोप्रति सहित कृत कार्यवाही की सूचना से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–645/XXVII/2007, दिनांक 21 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन) 2/08
अपर सचिव।

सं0–242 (1)/IV-श0वि0–08,तद्दिनांक। 11/03/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।